

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : लेखा-13/सीबी/चोरी/गबन/हानि/एफ-167/2018/

दिनांक :

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,.....
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी.....
3. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी.....
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, टी.बी. क्लिनिक.....
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी/पीएचसी.....
6.

विषय:-अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की प्रस्तावित बैठक दिनांक 20-03-2018 हेतु चोरी/गबन/हानि के प्रकरणों की नवीनतम सूचना भिजवाने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर कार्यालय में पंजीकृत चोरी/गबन/हानि के प्रकरणों की नवीनतम सूचना जिसमें राशि की वसूली, दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जाँच की स्थिति, अपलेखन की कार्यवाही तथा न्यायालय में चल रहें प्रकरणों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी सुनवाई तिथि से अवगत कराते हुए निर्धारित प्रपत्र में नवीनतम सूचना मय प्रमाण सहित 07 दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकरण की अपूर्ण सूचना देने के लिए आप व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

६०

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : लेखा-13/सीबी/चोरी/गबन/हानि/एफ-167/2018/ 6757-6812 दिनांक : 6/3/2018

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/राजपत्रित) मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर कार्यालय में पंजीकृत/चोरी/गबन/हानि के प्रकरणों पर आप द्वारा प्रस्तावित जाँच की स्थिति एवं नवीनतम सूचना 07 दिवस में भिजवाने का श्रम करें।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन-जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीनस्थ कार्यालय को पंजीकृत/चोरी/गबन/हानि के प्रकरणों की नवीनतम सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित करावें।
3. प्रभारी, सर्वर रूम उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर उपलोड करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर